कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer Construction Division P.W.D. Purola
E-Mail eepwdpurola@rediffmail.com Fax/Tel No 01373-223324

पत्रांक 1080/ वनभूमि दिनांक 13 /08 / 2024

सेवा में

उप वनसंरक्षक
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.6325 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/183/2016/एफ0सी0/626 दिनांक 19—7—17, तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 213/एफ0पी0/यू0के0/रोड/16964/2015 देहरादून दिनांक 20—07—17

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है।

1. शर्त सं0 1 के अनुपालन द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा—डामटी थुनारा के खाता सं0 00023 के खसरा सं0 1779/6.364 है0, 1781/0.201 है0, 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 हैक्टेयर भूमि जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 8337/ग्यारह—विविध/2019—20 दिनांक 10/09/2020 के द्वारा भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की जा चुकी है। सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु0 3139161.00 NEFT application No. 6116964314 दिनांक 27—06—2018 के द्वारा जमा की जा चुकी है। (रसीद संलग्न है।)

2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 3700553.00 सम्बन्धित कोष में NEFT application No. 6116964314 दिनांक 27—06—2018 के द्वारा जमा की जा चुकी है। एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशी दिनांक 25/06/2024 Transaction ID- wo4101422906241001 द्वारा रु0 1961293.00 कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

3. शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

4. शर्त सं0 4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु0 3139161.00 एवं एन0पी0वी0 धनराशि रु0 3700553.00 NEFT application No. 6116964314 दिनांक 27—06—2018 के द्वारा जमा की जा चुकी है।

5. शर्त सं0 5 के अनुपालन में सड़क मे दोनों ओर Central Verage प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पथ वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि का वन विभाग की देख—रेख में Strip plantation की जायेगी इस आशय का प्रमाण—पत्र सलग्न है।

6. शर्त सं0 6 के अनुपालन में डिजिटल मैप की ऑरिजनल हार्ड कॉपी संलग्न है।

7. शर्त सं0 7 के अनुपालन में अवगत कराना है कि मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाइल पूर्व में ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तों का लो0नि0वि0,पुरोला (प्रयोक्ता एजेन्सी) द्वारा अनुपालन किया जा चुका है। मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक /वनभूमि दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0,देहरादून।
3– वन संरक्षक यमुना वृत्त देहरादून।
4– अधिक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

शर्त सं0 03

विषय :— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.6325 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी दरों से प्रयोक्ता ऐजेन्सी लो0नि0वि0 पुरोला द्वारा धनराशि जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

शर्त सं0 05

विषय :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.6325 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु मांगी धनराशि का प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की देख–रेख में उचित वृक्षारोपण योजना तैयार की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (1)

(25)

https://ifms.uk.gov.in/PartyPayments/OtherWorksBill.asp

Bill Type : Normal

Vr. No. 37 dt 25/6/24

...Date - 25-6-2024
...action ID - WO4101422906241001

E-Sign

Executive Engineer
Constt. Div. P.W.D.
Purola (Uttarkashi)

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

...जनपद का नाम	: उत्तरकाशी
...कोषागार का नाम	: पुरोला
...देयक की अवधि कब से	कब तक
...विभाग कोड	1 0 3
...कोषागार/उपकोषागार का कोड	4 1 0 1
...देयक पंजी की क्रम संख्या	0 0 0 2 4 1
...वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)	0
...मतदेय/भारित	: मतदेय
...लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)	5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4
...आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम	: अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्लू डी पुरोला
...आहरण वितरण अधिकारी का कोड	4 2 2 9
...अधिष्ठान का नाम	: अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्लू डी पुरोला
...अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य ...nnect अनुदान संख्या	14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2   16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

वाउचर दिनांक: –

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	4219471	1961293	2258178

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	19,61,293
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	19,61,293

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	19,61,293

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Executive Engineer
Constt. Div. P.W.D.
Purola (Uttarkashi)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 19,61,293 (Rupees Nineteen Lacs Sixty One Thousand Two Hundred Ninety Three Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
संक्रमण द्वारा रू0 -
सकल धनराशि रू0 19,61,293

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (2)

S. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP4101422906241004 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896116964899	1961293	0	0	1961293
					1961293	**0**	**0**	**1961293**

Scanned with OKEN Scanner

Ch to Arakot Kalich thenosa Domti M/Road

Head of Account

Passed for Rs 1961293=00

Assistant Engineer
Constn. Divn. P.W.D.
Purola

Assistant Engineer
Constn. Divn. P.W.D
Purola

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 234, 290 and 304)

Cash Book Voucher No

Date

(1) Pay by Cheque/Cash(1961293=00 to S/ Uttaranchal Compa
(2) Paid by me

RECEIVED from the Executive Engineer C.D. P.W.D. Purola
Incharge of C.D. P.W.D. Purola.
Sub-Division A.E. III Division the sum of Rs. (19,61,293=00) Nineteen lakh Sixty one thousand two hundred ninety three only.
Name of work/purpose for which payment is made A/C No 150096116964099 Union Bank of India fsc Centre, 21/1, III floor, Jelitha tower's Mission Road Bangaluru - 560027 (IFSC Code - UBIN0796335
Name of Road:- Arakot Kalich thenosa M/Road length 9.6 km

Prakash

Witness rs 1961293=00

Amount in Voucher
Signature of Payee

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
पुरोला (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2024

Agency Name.	PWD
Application No.	6116964899
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/183/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, P.W.D. PurolaUttarkashi
Amount(In Rs)	1961293/-

Amount In Words :Nineteen Lakh Sixty-One Thousand Two Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116964899 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2024

Agency Name.	PWD
Application No.	6116964899
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/183/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, P.W.D. Purola Uttarkashi
Amount(In Rs)	1961293/-

Amount In Words :Nineteen Lakh Sixty-One Thousand Two Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116964899 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-06-2018

Agency Name.	PWD
Application No.	6116964314
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/183/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, P.W.D. PurolaUttarkashi
Amount(In Rs)	6839714/-

Amount In Words :Sixty-Eight Lakh Thirty-Nine Thousand Seven Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116964314 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-06-2018

Agency Name.	PWD
Application No.	6116964314
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/183/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, P.W.D. Purola Uttarkashi
Amount(In Rs)	6839714/-

Amount In Words :Sixty-Eight Lakh Thirty-Nine Thousand Seven Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116964314 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-6

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के पत्र संख्या 1128/वन भूमि दिनांक 02 अगस्त 2020 के द्वारा विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा-डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी(अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 हे. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 08बी0/ यू0सी0पी0/ 06/ 183/2016/ एफ0सी0/ 626 दिनांक 19-07-2017 एवं वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 213/ FP/ UK/ROAD/ 16964/2015 दिनांक 20 जुलाई 2017 के द्वारा विभाग को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 01 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम ग्राम डामटी थुनारा तहसील मोरी के फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी पुरोला ने तहसीलदार मोरी के पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षति0वृक्षा0/2015 दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को संस्तुति सहित अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी भूमि ग्राम डामटी थुनारा की 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, एतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के अनुरोध पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी पुरोला/तहसीलदार मोरी की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 तथा शासनादेश संख्या 2173/ XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप विकासखण्ड मोरी में आराकोट-

Scanned with OKEN Scanner

विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा- डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी (अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 है. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम ग्राम डामटी थुनारा की फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ड के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रकबा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 8337/ग्यारह-विविध/2019-20 दिनांक 10 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।

2- तहसीलदार, मोरी ।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।

4- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
10/9/2020

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (6)

प्रपत्र सं० प–11 उद्धरण खतौनी (1.2.A) ग्राम डामटी धुनारा

1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ग 9(3) ड़ खाते की बाहर की भूमि						
23	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड़. X		9	0.541			
			578	0.013			
			X	X			
			X	X			
			120	0.013			
			122	0.008			
			X	X			
			X	X			
			181	0.023			
			183	0.291			
			X	X			
			X	X			
			1779	6.364			
			1781	0.201			
			X	X			
			1783	16.344			
			4445	0.010			
			X	X			
			4484	0.015			
			4486	0.189			
		योग	1113	333.748			

सत्य प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र डामटी धुनारा
जिला-उत्तरकाशी

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी कार्यालय पत्र संख्या 833/ भारह-विविध/2019-20 दिनांक 10 सितम्बर 2020 के द्वारा भूमि धुनारा डामटी मध्य खसरा नं० 1779-6.364 है०, खसरा नं० 1781 0.201 है० तथा खसरा नं० 1783-16.344 है० कुल रकबा 22.909 है० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। दर्ज किया।

(हस्ताक्षर)
05/01/2021

Scanned by CamScanner

सैद्धान्तिक स्वीकृति

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/183/2016/एफ0सी0/626 दिनांक: 19/07/2017

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद– उत्तरकाशी में मौरी–आराकोट–कलीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.6325 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/16964/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 865/X-4-16/1(261)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/16964/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24.11.2016 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–उत्तरकाशी में मौरी–आराकोट–कलीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.6325 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.265 है0 डामटी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। **धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।**
5. निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सडक के दोनों किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide the original hard copy of geo-referenced digital map of proposed road uploaded at C (iv) Part-I online.

Scanned with OKEN Scanner

7 State Govt. may upload KML file at 'C' Part-I online showing the link road portion of the proposed road towards the end point.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगीः-**

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2 एन.पी.वी. की दरो मे अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरो पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3 प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 11.265 है0 डामटी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का डेरा कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6 निर्माण के पश्चात् जहा-जहा संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख मे strip plantation की जाएगी।
7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव-जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति ना पहुचायी जायेगी।
9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 281 से अधिक न हो।
11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख मे किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जाएगा।
12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अर्न्तगत जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति मे दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1 अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3 आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

Scanned with OKEN Scanner